अनुदान संख्या 53 - मंत्रिमंडल
GRANT No. 53 – CABINET

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
मूल	*Original*	*10,00*			
			38,00	*30,38*	*-7,62*
पूरक	*Supplementary*	*28,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	602,69,00			
			836,70,00	771,41,11	-65,28,89
पूरक	Supplementary	234,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	139,08,00			
			169,22,00	153,33,08	-15,88,92
पूरक	Supplementary	30,14,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,73,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹7.62 लाख*) मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए *₹28.00* लाख के पूरक *विनियोग* का 27 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 20 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(₹7.62 lakhs)* constituted 27 percent of the supplementary *appropriation* of *₹28.00 lakhs* obtained in March, 2013 and 20 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Saving occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	*O.*	*10.00*	*38.00*	*30.38*	*- 7.62*
पू.	*S.*	*28.00*			

(I) "विशेष सुरक्षा ग्रुप - स्थापना" के अंतर्गत *₹10.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹28.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹38.00* लाख कर दिया गया, तथापि, जो न्यायिक निर्णयों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण *₹7.62* लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Special Protection Group – Establishment" – the original *appropriation* of *₹10.00 lakhs* was augmented to *₹38.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹28.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of *₹7.62 lakhs* – due to requirement of less funds towards court judgements.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹6528.89 लाख) दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹23401.00 लाख की पूरक अनुदानों का 28 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹6528.89 lakhs) constituted 28 percent of the supplementary grants of ₹23401.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and 8 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2013"	Major Head "2013"				
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers				
मू.	O.	38809.00	58965.00	53091.71	-5873.29
पू.	S.	20156.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	21182.00	24427.00	23774.39	-652.61
पू.	S.	3245.00			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2013" - "यात्रा व्यय" -

(क) "कैबिनेट मंत्री" - ₹24845.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹19743.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹44588.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो विदेश मंत्रालय से दावे प्राप्त न होने के कारण ₹3652.78 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "राज्य मंत्री" - ₹1250.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹413.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1663.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो राज्य मंत्रियों द्वारा कम विदेशी दौरे किए जाने और राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने के कारण ₹114.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष सुरक्षा ग्रुप - स्थापना" - ₹21182.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3245.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹24427.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, शस्त्र और गोला बारूद के अंतर्गत कतिपय उपस्करों के प्राप्त न होने, कम दौरे किए जाने और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹652.61 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2013" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "मंत्रिमंडल सचिवालय" -

(क) "सचिवालय (मुख्य+भुगतान तथा लेखा कार्यालय)" - ₹1467.10 लाख की बचत (₹5217.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2013" – "Tour Expenses" –

(a) "Cabinet Ministers" - the original provision of ₹24845.00 lakhs was augmented to ₹44588.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹19743.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹3652.78 lakhs – due to non-receipt of claims from the Ministry of External Affairs.

(b) "State Ministers" - the original provision of ₹1250.00 lakhs was augmented to ₹1663.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹413.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹114.00 lakhs – due to less number of foreign tours undertaken by State Ministers and non-receipt of claims from the State Governments.

(B) Major Head "2055" – "Special Protection Group - Establishment" - the original provision of ₹21182.00 lakhs was augmented to ₹24427.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3245.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹652.61 lakhs – due non-filling up of vacant posts, non-receipt of certain equipments under Arms and Ammunitions, less number of tours undertaken and requirement of less funds towards information technology.

(II) Under Major Head "2013"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Cabinet Secretariat" –

(a) "Secretariat (Main+PAO)" - saving of ₹1467.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5217.00 lakhs) was due to cut

संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने और किराया, कार्यालय उपस्कर और चिकित्सा के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(b) "राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय" - ₹196.68 लाख की बचत (₹2033.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे जाने में विलंब होने, विदेश मंत्रालय से दावे प्राप्त न होने और चिकित्सा व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "प्रधानमंत्री कार्यालय" -

(क) "स्थापना" - ₹240.88 लाख की बचत (₹2933.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा एवं यात्रा व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय सलाहकार परिषद" - ₹114.41 लाख की बचत (₹311.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्मिकों के संप्रत्यावर्तित किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹54.01 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹85.20 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2013" - "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - रसायनिक हथियारों पर प्रतिबंध के लिए संगठन" के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹56.94 लाख था।

imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage and requirement of less funds towards rent, office equipment, medical and non-holding of projected international workshop.

(b) "National Security Council Secretariat" – saving of ₹196.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2033.00 lakhs) was due to delay in filling up of vacant posts, non-receipt of claims from the Ministry of External Affairs and requirement of less funds towards medical expenses.

(B) "Prime Minister's Office" –

(a) "Establishment" - saving of ₹240.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2933.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards medical and travel expenses.

(b) "National Advisory Council" - saving of ₹114.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹311.00 lakhs) was due to re-patriation of official from Prime Ministers office and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(III) Under one head saving of ₹54.01 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly (₹85.20 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2013" – "International Co-operation – Organisation for prohibition of Chemical Weapons". Actual excess, however, was ₹56.94 lakhs.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1588.92 लाख) दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹3014.00 लाख की पूरक अनुदानों का 53 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1588.92 lakhs) constituted 53 percent of the supplementary grants of ₹3014.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4055" Major Head "4055"					
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Police					
मू.	O.	13908.00			
पू.	S.	3014.00	15649.00	15333.08	-315.92
पु.	R.	-1273.00			

(I) "विशेष सुरक्षा ग्रुप - सामान्य" - ₹12246.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3014.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹15260.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध में छूट देने के लिए वित्तीय मंजूरी प्राप्त करने में विलंब होने के कारण ₹328.77 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Special Protection Group – General" – the original provision of ₹12246.00 lakhs was augmented to ₹15260.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3014.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹328.77 lakhs – due to delay in receipt of financial sanction regarding relaxation of ban on purchase of new vehicles.

(II) "विशेष सुरक्षा ग्रुप - कार्यालय भवन" के अंतर्गत ₹1162.42 लाख की बचत (₹1373.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under "Special Protection Group - Office Buildings" – saving of ₹1162.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1373.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from Central Public Works Department.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹97.73 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹97.73 lakhs occurred constituting 34 percent of the sanctioned provision.